(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/2122 विरूद्ध आदेश दिनांक 27.06.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 844/15-16/अपील.

भारत सिंह पुत्र छविराम
निवासी ग्राम जौरासी
तहसील डबरा, जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन .....अनावेदक

श्री एस.पी. धाकड़, अभिभाषक, आवेदक
श्री कमल जैन, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/8/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 27.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कलेक्टर, ग्वालियर द्वारा ग्राम जौरासी की भूमि सर्वे क्र. 315 रकबा 1.26 हैक्टेयर गौठान में से रकबा 0.80 हैक्टेयर भूमि की नोईयत प्र.क्र. 12-13 दिनांक 15.12.2012 के द्वारा आबादी किये जाने के आधार पर आबादी भूमि पर ले-आउट स्वीकृत हुये बिना ही नायब तहसीलदार के द्वारा आवेदक को आबादी भू-खण्ड धारक का प्रमाण पत्र जारी किया गया। मौके पर आवेदक के पिता द्वारा निर्माण कराये जाने पर ग्राम में विवाद उत्पन्न होने पर तहसीलदार डबरा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त की जाकर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 503/14-15/बी-121 दर्ज कर दिनांक 29.09.2015 को आदेश पारित करते हुए जारी आबादी प्रमाण पत्र को त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर निरस्त किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, डबरा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 16.08.2016

को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27-6-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को म.प्र. शासन की ओर से नायब तहसीलदार द्वारा मौके की जांच आदि कराकर दस्तावेजों का निरीक्षण करने के उपरांत पट्टा जारी किया था, जिसको उनके ही समकक्ष अधिकारी तहसीलदार वृत्त बिलौआ को निरस्त करने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था। उक्त अधिकारविहीन विवादित आदेश पारित किया जाकर पट्टा निरस्त किया गया है, जो विधि विरूद्ध आदेश होने से निरस्ती योग्य था, लेकिन अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने उक्त आदेश को यथावत् रखने में वैधानिक भूल की है, जो निरस्ती योग्य है। यह भी कहा गया कि पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पटवारी आदि का प्रतिवेदन तलब किया गया था। मौके की जांच की गई थी, लेकिन अब वर्तमान में राजनैतिक द्वेषवश व आवेदक के निर्माण कार्य को रूकवाने व उसको हानि पहुंचाने की नीयत से मिथ्या कार्यवाही कराई जाकर पट्टा निरस्ती का आदेश पारित किया गया है, जो प्रारंभ से ही विधि विरूद्ध होकर निरस्ती योग्य था, लेकिन अधीनस्थ अपीलीय न्यायलयों ने उक्त आदेश को यथावत् रखने में वैधानिक भूल की है, जो निरस्ती योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि पट्टा निरस्ती की कार्यवाही समकक्ष अधिकारी नहीं कर सकता है, पट्टा निरस्त करने का अधिकार पर्याप्त कारण होने पर कलेक्टर को है । यदि बार बार पट्टे जारी कर उसी न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाते रहेंगे तो आम जनता परेशान होगी और उसका शासकीय नीतियों पर विश्वास उठ जायेगा। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि पट्टा अंतरण दस्तावेज की श्रेणी में आता है और स्वत्व का दस्तावेज है, जिसको सिविल न्यायालय में भी अनावेदक ने कोई चुनौती नहीं दी है। मौके पर आवेदक का कब्जा है, उसको बेदखल करने की कार्यवाही भी पृथक् से नहीं की गई है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तहसीलदार का पट्टा निरस्ती का आदेश यथावत रखे जाने का मनमाना कानून के विपरीत आदेश पारित किया गया है, जो निरस्ती योग्य है। यह भी कहा गया कि पट्टा निरस्ती की कार्यवाही करने से पूर्व आवेदक को सूचना व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। समस्त कार्यवाही बाला बाला तरीके से करने के उपरांत आदेश पारित कर उसकी सूचना मात्र प्रदान की गई है। इस प्रकार समस्त कार्यवाही अवैधानिक है, लेकिन अधीनस्थ अपीलीय न्यायलयों ने उक्त आदेश को यथावत् रखने में वैधानिक भूल की है, जो निरस्ती योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि शासन के द्वारा ग्राम जौरासी की भूमि सर्वे क्रमांक 419, 316 एवं अन्य सर्वे नंबर की भूमि के करीब 50 से अधिक लोगों को पट्टे जारी किये

गये थे, जो वर्तमान में भी प्रभावशील है। मात्र आवेदक को ही परेशान करने के लिए मनमाने तरीके से पट्टे को निरस्त करने की कार्यवाही की गई, जो अवैधानिक एवं द्वेषपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी तर्क प्रसतुत किया गया कि इसी विवादित भूमि से संबंधित एक अन्य अपीलीय प्रकरण 77/2015-16 छविराम बनाम मध्यप्रदेश शासन भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में पेश किया गया था। उक्त प्रकरण में अवैधानिक रूप से आवेदक के संबंध में बेदखली की कार्यवाही करने बावत् आदेश पारित किया गया है, जो कि विधि विरूद्ध है, क्योंकि किसी अन्य प्रकरण में आवेदक भारत सिंह के विरूद्ध अवैधाकि रूप से आदेश पारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें आवेदक भारत सिंह पक्षकार नहीं है, जबकि विवादित आदेश में बेदखल करने बावत् ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का विवादित आदेश दूषित है।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा नियम एवं प्रावधानों के विपरीत आदेश पारित किया गया था, अत: तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त कर विधिवत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार के आदेश को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यथावत रखा गया है । इस आधार पर कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने पी.आई.एल. में सर्वे नम्बर 315 पर अतिक्रमणों की जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिये थे । अत: माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश को देखते हुए तथा यह देखते हुए कि नायब तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र आबादी भूखण्ड (जिसमें प्रथम दृष्टया ही यह उल्लेख नहीं है कि वह किस नियम/प्रावधान/अधिकार के तहत जारी हुआ है) को जांच उपरांत तहसीलदार द्वारा सही निरस्त किया गया है । तहसीलदार के विधिसंगत आदेश को दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा यथावत रखा गया है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस सम्बन्ध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर